

पश्चिमी घाट

1. परिचय:

पश्चिम घाट भारत के पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। जैव विविधता से समृद्ध, ये एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हैं और कई अंतःस्थायी प्रजातियों के घर हैं।

2. पश्चिम घाट क्या हैं?

- पश्चिम घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर पर्वतों की एक श्रृंखला हैं।
- वे प्राचीन पर्वत हैं, जो गोंडवाना महाद्वीप के तोड़ के दौरान लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले बने थे।
- पश्चिम घाट दुनिया के दस "सबसे संकटापन्न जैव विविधता हॉटस्पॉट्स" में से एक माने जाते हैं।


3. वे कहां स्थित हैं?

- पश्चिम घाट गुजरात राज्य से लेकर केरल तक लगभग 1,600 किलोमीटर फैले हुए हैं, तथा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और तमिलनाडु से गुजरते हैं।

4. क्षेत्रफल:

- पश्चिम घाट लगभग 164,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।

 KHAN SIR 



5. वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?

- वेस्टर्न घाट्स विश्व के किसी अन्य स्थान पर न मिलने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए निवास स्थान हैं।
- वे क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण जल संचय क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं।
- घाट भारतीय मानसून के मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं जो इस क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। वे दक्षिण-पश्चिम से आने वाली बारिश से भरी मानसूनी हवाओं के लिए एक बाधा के रूप में काम करते हैं।
- घाट जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करने वाले करोड़ों लोगों के जीविका का समर्थन कर रहे हैं।

6. विश्व धरोहर स्थल की स्थिति

- 2012 में, यूनेस्को ने पश्चिम घाट को असाधारण जैव विविधता और अंतःस्थायित्व के कारण एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था।

7. वनस्पतियाँ और वन:

- वेस्टर्न घाट्स में विभिन्न प्रकार की वनस्पति होती है, जिनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्द्ध सदाबहार वन, नम पर्णपति वन और "शोला" कहलाने वाले अद्वितीय घास के मैदान मुख्य हैं
- क्षेत्र में 7,500 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ होती हैं, जिनमें कुछ अंतःस्थायी प्रजातियाँ शामिल हैं।

8. पश्चिम घाट में मौजूद जंगली जानवर:

- पश्चिम घाट भारतीय हाथी, बंगाल बाघ, लायन-टेल्ड मकाक, भारतीय बाइसन, और कई जानवरों की विविधता के घर हैं।
- क्षेत्र में अनेक पक्षियों की प्रजातियाँ पायी जाती हैं, जिसमें मलबार ग्रे हॉर्नबिल और नीलगिरि फ़्लाइकैचर जैसी अंतःस्थायी प्रजातियाँ शामिल हैं।

9. क्षेत्र की प्रतीकात्मक और अंतःस्थायी प्रजातियाँ:

- प्रतीकात्मक प्रजातियाँ: भारतीय हाथी (एलेफास मैक्सिमस इंडिकस), बंगाल बाघ (पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस)
- अंतःस्थायी प्रजातियाँ: नीलगिरि टाहर (नीलगिरित्रागुस हैलोकियुस), मलबार सिवेट (विवेरा सिवेटिना)

10. पश्चिम घाट में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और जीवसंरक्षण क्षेत्र:

- राष्ट्रीय उद्यान: पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान

- जीवसंरक्षण क्षेत्र: नीलगिरि जीवसंरक्षण क्षेत्र, अगस्त्यमलई जीवसंरक्षण क्षेत्र, शेषाचलम जीवसंरक्षण क्षेत्र

11. पश्चिम घाट में बाघ और हाथी आबादी:

- पश्चिम घाट में लगभग 2,000 बंगाल बाघ रहते हैं, जिससे यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण बाघ आबादी क्षेत्र में से एक है।
- क्षेत्र लगभग 11,000 भारतीय हाथियों का भी समर्थन करता है, जो क्षेत्र के पारितंत्रिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।

12. वेस्टर्न घाट्स के समक्ष खतरे:

- शहरीकरण, कृषि और बुनियादी संरचना विकास के कारण वनों की कटाई और आवासीय क्षेत्र की हानि
- उद्योगों और कृषि अपवाह से प्रदूषण
- जलवायु परिवर्तन और इसके इलाके की जैव विविधता पर प्रभाव
- शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार

13. हमें वेस्टर्न घाट्स की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए?

- क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता और स्थानीय प्रजातियों की संरक्षण के लिए
- पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और करोड़ों लोगों के जीविका का समर्थन करने के लिए, जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं
- महत्वपूर्ण जल संचय क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए, जो प्रमुख नदियों और शहरों को पानी प्रदान करते हैं
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और क्षेत्र की कार्बन सिंक की भूमिका को बनाए रखने के लिए

13. गाडगिल समिति

- गठन: गाडगिल समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) के रूप में जाना जाता है, की स्थापना 2010 में भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई थी। पैनल का नेतृत्व प्रख्यात पारिस्थितिकीविद् डॉ. माधव गाडगिल ने किया था।
- उद्देश्य: समिति का उद्देश्य पश्चिमी घाटों की पारिस्थितिकी और जैव विविधता का आकलन करना और उनके संरक्षण, सतत विकास और प्रबंधन के लिए सिफारिशें प्रदान करना था।
- मुख्य सिफारिशें:
 - पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित किया जाना चाहिए।

- पश्चिमी घाटों को उनकी पारिस्थितिक संवेदनशीलता के आधार पर तीन क्षेत्रों (ESZ I, II, और III) में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें ESZ I सबसे संवेदनशील है।
- सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई नया खनन, बांध या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- इन क्षेत्रों में मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए।
- पश्चिमी घाटों के विकास और संरक्षण से संबंधित निर्णय लेने में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए।
- पश्चिमी घाट प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना
- आलोचनाएँ: गाडगिल समिति की रिपोर्ट को विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से राज्य सरकारों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसे बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक माना गया था और यह इस क्षेत्र में आर्थिक विकास में बाधा बन सकती थी।

14. कस्तूरिंगन समिति

- गठन: कस्तूरिंगन समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर उच्च-स्तरीय कार्य समूह (HLWG) के रूप में जाना जाता है, का गठन 2012 में गाडगिल समिति की आलोचनाओं के आलोक में भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया गया था। पैनल का नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख डॉ. के. कस्तूरिंगन ने किया था।
- उद्देश्य: समिति का उद्देश्य गाडगिल समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करना और पश्चिमी घाटों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करना था।
- मुख्य सिफारिशें:
 - पूरे पश्चिमी घाट को ESA घोषित करने के बजाय, केवल 37% क्षेत्र (60,000 वर्ग किमी से मिलकर) को ESA के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
 - ESA को दो श्रेणियों में सीमांकित किया जाना चाहिए: प्राकृतिक परिदृश्य (बहुत सीमित विकास के साथ) और सांस्कृतिक परिदृश्य (विनियमित विकास के साथ)।
 - ESA में खनन, उत्खनन और बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
 - चिन्हित ESA में निर्माण, खनन और औद्योगिक विकास जैसी गतिविधियों पर सख्त नियमन।
 - क्षेत्र में ईकोटूरिज्म और सतत कृषि को प्रोत्साहित करना।
- आलोचनाएँ: कस्तूरिंगन समिति की रिपोर्ट की गाडगिल समिति की सिफारिशों को कमजोर करने और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक विकास गतिविधियों की अनुमति देने के लिए

आलोचना की गई थी। कुछ पर्यावरणविदों ने ESA के सीमांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपग्रह डेटा की सटीकता के बारे में भी चिंता जताई।

15. 2022 अपडेट

- सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) पर केंद्रित दो समितियों के खिलाफ एक कानूनी मामले को खारिज कर दिया।
- ESA राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नामित विशेष क्षेत्र हैं।
- कानूनी मामले का उद्देश्य गाडगिल समिति और कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन को रोकना था।
- याचिका ने न्यायालय से 2018 की अधिसूचना को अमान्य घोषित करने के लिए भी कहा, यह तर्क देते हुए कि यह पश्चिमी घाटों, विशेष रूप से केरल में नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है।
- याचिका ने न्यायालय से केरल की एक विशेषज्ञ समिति की 2014 की रिपोर्ट का पालन करने का आग्रह किया, जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर भूमि (ईएफएल) नियमों में बदलाव का सुझाव दिया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए मामले को खारिज कर दिया कि जुलाई 2022 में एक नई ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें उठाई गई चिंताओं का समाधान किया गया है।
- यह नई अधिसूचना ESA में खनन, थर्मल पावर प्लांट और प्रदूषणकारी उद्योगों जैसी हानिकारक गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है।

16. वेस्टर्न घाट्स की सुरक्षा के लिए किए गए अन्य कदम:

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) और वन (संरक्षण) अधिनियम (1980) जैसे संरक्षण नीतियों और कानूनों को लागू करना
- राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में गणना करके क्षेत्र के संरक्षण और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना
- सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग के माध्यम से संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना
- शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ कार्रवाई, जैसे कि पहरे की बढ़ोतरी और अपराधियों के लिए कठोर दंड
- संरक्षण प्रयासों के लिए राजस्व उत्पन्न करने और क्षेत्र की जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना

- वेस्टर्न घाट्स के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने और संरक्षण रणनीतियों के लिए अनुसंधान और निगरानी कार्यक्रम
- वनों की कटाई और आवासीय क्षेत्र की हानि का मुकाबला करने के लिए वृक्षारोपण और आवासीय क्षेत्र पुनर्वास परियोजनाएं
- स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान

